

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-1198 / 06

संस्थित दिनांक-14.12.2006

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- पूर्व से निर्णित- 1. कल्ली पुत्र लालाराम कोरी, उम्र 33 साल
 2. विद्याराम पुत्र लालाराम कोरी उम्र 38 साल
 निवासीगण- बंधा बरथरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्तगण

--:: निर्णय ::--

{आज दिनांक 03.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि वह दिनांक 10.08.2006 को समय लगभग 19-20 बजे, गोलम्बर तिराहे के पास बरथरा रोड की पुलिया अंतर्गत थाना गोहद में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर कट्टा एवं जिन्दा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सह अभियुक्त विद्याराम के संबंध में पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री केशव सिंह द्वारा दिनांक 22.01.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस निर्णय द्वारा सह अभियुक्त कल्ली पुत्र लालाराम कोरी के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना प्रभारी गोहद श्री जी0डी0 शर्मा दिनांक 10.08.2006 को दौराने गस्त मोबाईल से सूचना मिली कि बरथरा रोड से एक टेक्टर अवैध रूप से शराब लिए जा रहा है। गोलम्बर पुलिया के पास बरथरा पर एक टेक्टर स्वराज क्रमांक 724 आता दिखा तथा उसमें 6 बोरी प्लास्टिक की कच्ची शराब भरी थी। उक्त टेक्टर को आरोपी विद्याराम चला रहा था और टेक्टर पर कल्ली बैठा हुआ था। अवैध शराब होने से उसे जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गई। तलाशी के दौराने अभियुक्त की कमर में 315 बोर का लोडेड कट्टा खुरसा मिला, जिसके रखने का लाइसेंस चाहे जाने पर लाइसेंस न होना बताया। साक्षी पृथ्वीराज व कमल के समक्ष कट्टा जप्त किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 126/ 06 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टे व कारतूस जांच कराई गई। अभियोजन स्वीकृति ली गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 10.08.2006 को समय लगभग 07:20 बजे गोलम्बर तिराहे पर बरथरा रोड पुलिया पर अभियुक्त के ज्ञानयुक्त आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा व कारतूस रखा गया?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त आग्नेय आयुध बिना वैध अनुज्ञप्ति के संधारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पृथ्वीराज अ0सा0 1, कमल अ0सा0 2, राजकिशोर सिंह अ0सा0 3, देवेन्द्र सिंह अ0सा0 04, जी0डी0 शर्मा अ0सा0 05, महेश धाकरे अ0सा0 06 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों को एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में जप्तीकर्ता जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 10.08.2006 को पुलिस थाना गोहद में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सूचना मिली थी कि बरथरा रोड पर एक टेक्टर से अवैध शराब आ रही है। मौके पर पहुंचा तो एक स्वराज 724 टेक्टर आता दिखा। जिसे रोककर चैक किया तो उसमें 06 टंकी अवैध शराब मिली, जिसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही थी, गिरफ्तारी कार्यवाही में अभियुक्त की तलाशी ली तो उसकी कमर में वार्यों तरफ 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में रखा मिला। लाईसेंस न होने से धारा 25, 27 अर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने से जप्त किया गया। साक्षी जप्ती पत्रक प्र0पी0 01 पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताता है। रिपोर्ट प्र0पी0 08 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। अभियुक्त गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 04 बताकर उस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है।

8. प्रकरण में प्र0पी0 01 के जप्तीपत्रक के साक्षी पृथ्वीराज अ0सा0 01 व कमल अ0सा0 02 हैं। जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त को पहचानते तो अवश्य हैं, किंतु उनके समक्ष अभियुक्त से कोई भी जप्ती होने के तथ्य से इंकार करते हैं। उक्त दोनों साक्षी जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 पर क्रमशः ए से ए भाग व बी से बी भाग पर हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हैं। साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक

प्रश्नों में साक्षीगण उनके समक्ष अभियुक्तगण से कट्टा व कारतूस जप्त किए जाने के संबंध में सुझाव से स्पष्ट इंकार करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, ऐसी दशा में वह मामला प्रमाणित नहीं है। इस तर्क के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मामले में स्वतंत्र जप्ती साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, किंतु पुलिस साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को भी अन्य साधारण साक्षियों की भांति ही विश्लेषित किए जाने की विधि आवश्यकता होती है। यह परिस्थिति अवश्य हो सकती है कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किए जाने पर पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाए।

09. प्रकरण में जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दोनों घटना एक साथ हुई थीं और पहले उन्होंने शराब की जप्ती की थी। बाद में कट्टे को जप्त किया था। इस कारण से दोनों अलग-अलग कायम किए गए थे। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब अभियुक्तगण से एक संपत्ति जब्त की जा रही थी, उसी समय उक्त अपराध में अभिकथित कट्टों को जप्त क्यों नहीं किया गया। सामान्यतः यह नियम है कि एक ही अनुक्रम में यदि कोई अपराध घटित होता है तो जितने भी अपराध घटित हो, उनका एक साथ पंजीयत व विचारण किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्तगण द्वारा अवैध शराब को टेक्टर में ले जाया जा रहा था तो शराब की जप्ती के साथ अभिकथित कट्टे की जप्ती किया जाना आवश्यक था, जो कि न किया जाना प्रकरण में संदेहपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है। स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जप्तीकर्ता के कथनों का समर्थन नहीं किया जाना भी अभियोजन के मामले को संदेहप्रद कर देता है।

10. प्रकरण में राजकिशोर अ0सा0 03 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 24.08.2006 को कथित 315 बोर का कट्टा व कारतूस की जांच की थी, जिसमें उक्त आग्नेय आयुध संचालनीय अवस्था में होना पाया गया था। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में कथन करता है कि सीलबंद कट्टे पर "पी एस गोहद चौराहा" लिखा हुआ था, जबकि अपराध थाना गोहद का है। इसके अतिरिक्त प्र0पी0 01 के जप्तीपत्रक पर थाना गोहद की नमूना सील अंकित है। ऐसे में यदि थाना गोहद के द्वारा अभियुक्त से आग्नेय आयुध जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया तो आरमोरर अ0सा0 03 के पास सीलबंद कट्टे पर पी.एस. गोहद चौराहा लिखे होने की टीप कहाँ से अंकित हो गई थी। इस प्रकार से आरमोरर राजकिशोर अ0सा0 03 का कथन अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है।

11. देवेन्द्र सिंह अ0सा0 04 प्रकरण में अनुसंधानकर्ता हैं जो अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाने की बात बताते हैं, जबकि पृथ्वीराज अ0सा0 01 व कमल अ0सा0 02 द्वारा

अपने शपथपत्रीय न्यायालयीन कथन में उनके पुलिस कथन क्रमांक 05 व 06 के देने से इंकार किया है। इस तरह से यह तथ्य भी संदेहपूर्ण स्थिति को बताता है। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति को प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रकरण में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि थाना प्रभारी व जप्तीकर्ता जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 द्वारा उनके थाने से रवाना होने और थाना वापस लौटने के संबंध में कोई सुसंगत रोजनामचा सान्हा की प्रविष्टि न तो प्रस्तुत की गई है और न ही प्रमाणित की गई है। अतः अभियोजन का मामला संदेहप्रद है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से प्रकरण में कथित रूप से रोजनामचा सान्हा के संबंध में साक्षी जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 से परीक्षण नहीं किया गया है, किंतु जहां स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसे में मात्र जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 के साक्ष्य को प्रमाणित किए जाने हेतु विधि पूर्वक कार्यवाही का परीक्षण करने हेतु रोजनामचा सान्हा महत्वपूर्ण हो सकता था। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन द्वारा न तो रोजनामचा सान्हा रवानगी व वापसी का प्रमाणित किया गया है और न ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्र0पी0 08 की प्राथमिकी में रवानगी व वापसी के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि नहीं है। ऐसे में उपरोक्त संदेहपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जी.डी. शर्मा अ0सा0 05 के द्वारा की गई कार्यवाही में गंभीर सारवान त्रुटियां विद्यमान हैं। किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभिकथित कार्यवाही का समर्थन नहीं करना जप्तशुदा आग्नेय आयुध के संबंध में थाना गोहद की कार्यवाही होना, जबकि आर्मोरर राजकिशोर अ0सा0 03 के पास थाना गोहद चौराहे की नमूना सील युक्त आग्नेय आयुध पहुंचाया गया है। रोजनामचा सान्हा का प्रमाणीकरण न होने से अभियोजन स्वीकृति प्रमाणीकरण का अभाव जैसी महत्वपूर्ण विसंगतियां प्रकरण में मौजूद हैं।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 10.08.2006 को समय लगभग 19:20 बजे, गोलम्बर तिराहे के पास बरथरा रोड की पुलिया अंतर्गत थाना गोहद में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर कट्टा एवं जिन्दा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में जब्तशुदा दो कट्टा 315 बोर एवं दो जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश